मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

— — —

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 19–56/2020/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासन के आदेश क्रमांक एफ 4–3/2009/2/34, भोपाल दिनांक 02/08/2018 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित की गयी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) को अधिक्रमित करते हुए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन दिशा–निर्देश की कंडिका 5.2 के संदर्भ में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है।

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. यांत्रिकी विभाग एवं मिशन संचालक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन भोपाल	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
6	प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, भोपाल	सदस्य
7	सलाहकार, राज्य नीति एवं योजना आयोग, भोपाल	सदस्य
8	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल	सदस्य सचिव
9	सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	सदस्य
10	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
11	क्षेत्रीय निदेशक (रीजनल डायरेक्टर), केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), भोपाल	सदस्य
12	केन्द्रीय जल आयोग, पर्यावास भवन, भोपाल के प्रतिनिधि	सदस्य
13	स्टेट टेक्निकल एजेंसी, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, भोपाल के प्रतिनिधि	सदस्य
14	स्टेट टेक्निकल एजेंसी, मैपकॉस्ट भोपाल, के प्रतिनिधि	सदस्य
15	मुख्य अभियंता, लो. स्वा. यां. परिक्षेत्र–भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, एवं जबलपुर	सदस्य
16	मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग, वि./या. परिक्षेत्र, भोपाल	सदस्य
17	अध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित अन्य कोई सदस्य (आवश्यकता आधारित)	सदस्य

2/ एसएलएसएससी द्वारा उन योजनाओं का अनुमोदन किया जायेगा जो जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) द्वारा अनुमोदन की सक्षमता/अधिकार–क्षेत्र में नही आती हैं, अर्थात अंतःजिला/अंतर जिला वितरण नेटवर्क, क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाएं, वाटर–ग्रिड, शोधन संयंत्रों आदि के माध्यम से थोक जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए एसएलएसएससी के समक्ष रखे जायेंगे।

3/ स्रोत चयन समिति (Source Finding Committee) से अनुमोदित, तथा सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजनाएं ही एसएलएसएससी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/9/2020

(डी. के. नागेन्द्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. कमांक एफ 19–56/2020/1/4 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2020

प्रतिलिपिः–

1. समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय की ओर मूल नस्ती सहित।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/9/2020

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग